न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 104/2008

श्री धन्नालाल पुत्र श्री हरलाल जाति माली निवासी लोडियाना तहसील मसूदा हाल निवासी शेखावत नगर पूनायता रोड, जिला पाली (राज0)

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री गणेश उम्र 60 साल पुत्र श्री हरलाल जाति माली निवासी ग्राम लोडियाना तहसील मसूदा।
2. श्री देवीलाल उम्र 55 साल पुत्र श्री हरलाल जाति माली निवासी ग्राम लोडियाना तहसील मसूदा हाल निवासी सोलपग्या पो0ओ0 आरजिया तहसील माण्डल जिला भीलवाडा।
3. श्री कल्याण उम्र 65 साल
4. श्री भीयालाल उम्र 50 साल
5. श्री गोपाल उम्र 47 साल
   सभी पुत्र श्री हरलाल जाति माली निवासी ग्राम लोडियाना तहसील मसूदा।
6. श्रीमती संध्या वयस्क पत्नी श्री मुकेश संचेती जाति जैन ओसवाल महाजन निवासी महाराजा पैलेस संचेती कॉलोनी, बिजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, मसूदा।
8. उप पंजीयक महोदय, बिजयनगर जिला अजमेर।

—— **अप्रार्थीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:— निर्णय :— दिनांक 16.05.2016

प्रकरण की स्थिति इस प्रकार रही है कि इस पर प्रारम्भिक डिक्री 31 मार्च 2010 को पारित कर नायब तहसीलदार मसूदा को बंटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया था। कमीश्नर ने अपेक्षित बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 22.07.2010 को प्रस्तुत कर दिये थे। जिन पर विचारण दौरान वादी पक्ष की ओर से मौखिक एतराज होने पर पुनः बंटवारा प्रस्ताव तलब किये गये। नवीन बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.04.2016 को प्राप्त हुए जिसमें कमीश्नर ने अवगत कराया कि विवादित अराजी खसरा न0 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1628, 1635, 1637 व 1633 के सहखातेदारान अपने हिस्से की भूमियां विक्रय कर दी है अतः नवीन अंकन अनुसार बंटवारा प्रस्तावित किया जाता है।

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम लोडियाना की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता सं0 505 के खसरा न0 1539, 1541, 1542 कुल किता 3 रकबा 09—00—00 बीघा व खाता सं0 507 के खसरा न0 1540, 1543, 1628, 1635, 1660, 1773 कुल किता 6 रकबा 11—00—00 बीघा में वादी धन्नालाल 1/6 हिस्से से तथा प्रतिवादिया सं0 6 श्रीमती संध्या 5/6 हिस्से से खातेदार दर्ज है इसी प्रकार खाता सं0 508 के खसरा न0 1637 रकबा 06—00—00 बीघा में वादी धन्नालाल 1/6 हिस्से तथा प्रतिवादी सं0 4 भीयालाल 7/30 हिस्से से तथा प्रतिवादियां सं0 6 श्रीमती संध्या 4/30 हिस्से से खातेदार दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

कमीश्नर बंटवारा प्रस्ताव अभिलेख की स्थिति अनुसार निम्न प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं :–

श्री धन्नालाल – वादी			श्रीमती संध्या प्रतिवादी सं0 6		
ख0 न0	रकबा	किस्म लगान	ख0 न0	रकबा	किस्म लगान
1539/1	00–11–00	बा. 3 6.53	1539	02–11–00	बा. 3 32.67
1541/1	00–17–10	बा. 3	1541	04–09–10	बा. 3
1542/1	00–01–10	गै. मु. पाल	1542	00–09–10	गै. मु. पाल
किता 3	01–10–00		किता 3	07–10–00	
1543	00–19–10	बा. 3 6.00	1543/1	04–16–10	बा. 3 25.80
1628	00–08–00	गो. 2	1628/1	02–00–10	गो. 2
1635	00–04–15	चा. 1	1635/1	01–04–05	चा. 1
1637	01–00–00	चा. 2	1637/1	00–16–00	चा. 2
1660	00–01–00	बा. 3	1660/1	00–05–00	बा. 3
1733	00–03–00	चा. 1	1733	00–14–00	चा. 1
किता 6	02–16–05		किता 6	09–16–05	

इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 4 भीयालाल के खसरा न0 1637 रकबा 6 बीघा में 7/10 हिस्से के लिए खसरा न0 1637/2 रकबा 04–04–00 बीघा लगानी 4.20 पैसे प्रस्तावित किया गया है तथा चाह न0 1540 रकबा 00–03–10 गै. मु. चाह को वादी धन्नालाल के 1/6 हिस्से एवं प्रतिवादियां सं0 6 श्रीमती संध्या के 5/6 हिस्से से संयुक्त खातेदारी में रखा गया है। बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाये जाते हैं अतः स्वीकार किये जाते हैं तथा यथानुसार विवादित भूमियों में वादीगण को काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार बिजयनगर को निर्देशित किया जाता है वह मौके पर यथा बंटवारा पक्षकारान के डोले कायम करावें तथा पृथक–पृथक खाते एवं लगान कायम करें। प्रतिवादीगण को एक–दूसरे की अराजी में दखलअंदाजी से निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2016 को ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम मुकाम लोडियाना पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 16:00:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: